रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 237] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 9, 2014/श्रावण 18, 1936
No. 237] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 9, 2014/SHRAVANA 18, 1936

भारतीय रिज़र्व बैंक

अधिसूचना

मुम्बई, 5 जून, 2014

ग्राआऋवि.आरसीबी.बीसी. सं. 108/07.51.020/2013-14.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 18 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक भारत में मौद्रिक स्थिरता प्राप्त करने की जरूरत के मद्देनजर एतद्द्वारा निर्दिष्ट करता है कि 12 जुलाई, 2014 से प्रारंभ होने वाले पखवाड़े से हर राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक जो अनुसूचित सहकारी बैंक नहीं है, द्वारा बनाए रखे जाने के लिए अपेक्षित प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) उसकी निवल मांग और मीयादी देयताओं का 4 प्रतिशत होगा।

डॉ. (श्रीमती) दीपाली पन्त जोशी, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./38/14]

RESERVE BANK OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 5th June, 2014

RPCD.RCB.BC. No. 108/07.51.020/2013-14.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) read with section 56 thereof, the Reserve Bank, having regard to the needs for securing monetary stability in India, hereby specifies that the Cash Reserve Ratio (CRR) required to be maintained by every State co-operative bank and central co-operative bank, not being a scheduled co-operative bank, shall be 4 per cent of its total net demand and time liabilities, from the fortnight beginning from July 12, 2014.

Dr. (Smt.) DEEPALI PANT JOSHI, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./38/14]

अधिसूचना

मुम्बई, 5 जून, 2014

ग्राआऋवि.आरसीबी.बीसी. सं. 109/07.51.020/2013-14.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 24 की उप-धारा (2ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा निर्दिष्ट करता है कि हर राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक भारत में नीचे विस्तार से वर्णित प्रकार से आस्तियां बनाए रखना जारी रखेंगे जिसका मूल्य, किसी भी दिन की समाप्ति पर 12 जुलाई, 2014 से प्रारंभ होने वाले पखवाड़े के दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार को भारत में कुल निवल मांग और मीयादी देयताओं के 22.50 प्रतिशत से अन्यून होगा, यह मूल्यन रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट मूल्यन पद्धति के अनुसार किया जाना है।

(क) नकदी, अथवा

(ख) स्वर्ण जिसका मूल्यन चालू बाज़ार मूल्य से अधिक कीमत पर नहीं होगा, अथवा

(ग) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 5 (ए) में यथा परिभाषित अनुमोदित प्रतिभूतियों में भारमुक्त निवेश।

2. इसके ऊपर दी गई किसी भी बात के होते हुए भी –

i. केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 18 के अंतर्गत संबंधित राज्य के राज्य सहकारी बैंक के पास बनाए रखे जाने के लिए अपेक्षित शेष से अधिक बनाए रखे जाने वाले भारमुक्त शेष;

ii. संबंधित राज्य के राज्य सहकारी बैंक के पास बनाए रखे जाने के लिए अपेक्षित शेष से अधिक बनाए रखे जाने वाले भारमुक्त शेष; और

iii. भारतीय स्टेट बैंक अथवा किसी सहयोगी बैंक अथवा तदनुरूपी नए बैंक अथवा आईडीबीआई बैंक लि., के पास किसी राज्य सहकारी बैंक अथवा किसी केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा धारित भारमुक्त मीयादी जमाराशियों को भी 31 मार्च, 2015 तक इस अधिसूचना के अंतर्गत निर्दिष्ट प्रतिशत की गणना के प्रयोजन के लिए आस्तियों के रूप में माना जाएगा।

स्पष्टीकरण :

अ. किसी राज्य सहकारी बैंक अथवा किसी केंद्रीय सहकारी बैंक के 'भारमुक्त निवेश' में निम्नलिखित शामिल होंगे - उसके किसी अग्रिम अथवा किसी अन्य ऋण व्यवस्था के लिए उस मात्रा तक अन्य संस्था के पास रखी गई अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश जिस मात्रा तक कि ऐसी प्रतिभूतियां इनकी जमानत पर अथवा उनके लिए आहरित न की गई हो।

आ. उपर्युक्त प्रयोजन के लिए राशि की गणना में निम्नलिखित को भारत में बनाए रखी गई नकदी के रूप में माना जाएगा:

i. एक ऐसे राज्य सहकारी बैंक जो कि अनुसूचित बैंक है, द्वारा रिज़र्व बैंक के पास भारिबैं अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 के अंतर्गत बनाए रखे जाने के लिए अपेक्षित शेष से अधिक बनाए रखी जाने वाली कोई शेष राशि;

ii. ऐसे राज्य सहकारी बैंक अथवा केंद्रीय सहकारी बैंक जो एक अनुसूचित बैंक नहीं है, द्वारा रिज़र्व बैंक के पास बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित

धारा 18 के अंतर्गत बनाए रखे जाने के लिए अपेक्षित शेष से अधिक बनाए रखी जाने वाली कोई शेष राशि; और

iii. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 18 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित रूप में उक्त धारा के अंतर्गत उसके द्वारा बनाए रखे जाने के लिए अपेक्षित शेष के अतिरिक्त 'चालू खातों में निवल शेष'।

डॉ. (श्रीमती) दीपाली पन्त जोशी, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./38/14]

NOTIFICATION

Mumbai, the 5th June, 2014

RPCD.RCB.BC. No. 109/07.51.020/2013-14.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 24 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) read with section 56 thereof, the Reserve Bank hereby specifies that every State co-operative bank and central co-operative bank shall continue to maintain in India assets as detailed below, the value of which shall not, at the close of business on any day, be less than 22.50 per cent of the total net demand and time liabilities in India as on the last Friday of the second preceding fortnight, from the fortnight beginning from July 12, 2014, valued in accordance with the method of valuation specified by the Reserve Bank from time to time.

(a) Cash, or
(b) Gold valued at a price not exceeding the current market price, or
(c) Unencumbered investment in approved securities as defined in section 5(a) of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) read with section 56 thereof.

2. Notwithstanding anything contained hereinabove, —

(i) Unencumbered balances maintained by a central co-operative bank with the State co-operative bank of the State concerned, in excess of the balance required to be maintained by it under section 18 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) read with section 56 thereof;
(ii) any unencumbered balances maintained by a central cooperative bank with the State cooperative bank of the State concerned; and
(iii) unencumbered term deposits held by a State co-operative bank or a central co-operative bank with State Bank of India or a subsidiary bank or a corresponding new bank or IDBI Bank Ltd.

shall also be deemed to be assets for the purpose of calculating the percentage specified under this notification, till March 31, 2015.

Explanation:

A. "Unencumbered investment" of a State co-operative bank or a central co-operative bank shall include its investment in the approved securities lodged with another institution for an advance or any other credit arrangement to the extent to which such securities have not been drawn against or availed of.
B. In computing the amount for the above purpose, the following shall be deemed to be cash maintained in India:
   (i) Any balances maintained by a State co-operative bank, which is a scheduled bank, with the Reserve Bank in excess of the balance required to be maintained by it under section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934);
   (ii) Any balances maintained by a State co-operative bank or central co-operative bank, not being a scheduled bank, with the Reserve Bank in excess of the balance required to be maintained by it under section 18 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) read with section 56 thereof; and
   (iii) "Net balances in current accounts" as defined in the Explanation to sub-section (1) of section 18 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) read with section 56 thereof, in excess of the balance required to be maintained by it under the said section.

Dr. (Smt.) DEEPALI PANT JOSHI, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./38/14]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.